बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय :— अन्तर प्रमण्डलीय/जिला स्थानान्तरण/पदस्थापन के फलस्वरूप आवंटित जिला/प्रमण्डलों में आये लिपिकों/आशुलिपिकों/चालक तथा कार्यालय परिचारी का वरीयता क्रम निर्धारण के संबंध में।

राज्य के समाहरणालयों के अन्तर्गत लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक तथा कार्यालय परिचारी संवर्ग का प्रशासी नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत है।

2. इन संवर्गों की नियुक्ति व सेवाशर्तों के विनियमन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर नियमावलियाँ व आवश्यक अनुदेश निर्गत किये जाते हैं।

3. कुछ संवर्गों के कर्मियों की वरीयता निर्धारण के संबंध में संगत नियमावलियों में प्रावधान निरूपित हैं तथा कुछ के संबंध में प्रावधान निरूपित नहीं हैं। अंतर प्रमण्डलीय/जिला स्थानान्तरण–पदस्थापन होने की स्थिति में वरीयता विषयक प्रावधान किसी भी संवर्ग की नियमावली में निरूपित नहीं किये गये हैं।

4. अतः इस विषय पर जिला पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है। इन संवर्गों के कर्मियों की संवर्गीय तथा पारस्परिक वरीयता के प्रावधानों में एकरूपता के दृष्टिकोण से एक समान प्रावधान निरूपित किये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, उक्त संवर्गों के कर्मियों की संवर्गीय तथा पारस्परिक वरीयता निर्धारण के संबंध में निम्नांकित प्रावधान निरूपित किये जाते हैं :—

(i) जिला स्तरीय संवर्ग (लिपिक, आशुलिपिक, चालक तथा कार्यालय परिचारी) के कर्मियों के संबंध में अचानक जरूरत होने पर या किसी समाहरणालय में लिपिक के अभाव जैसी आवश्यकता होने पर संवर्ग के किसी कर्मचारी को दूसरे जिला में, सेवा में उसके प्रवेश के आधार पर उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए स्थानान्तरित करने की शक्ति सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) को होगी।

(ii) सरकारी सेवक के अनुरोध पर आवंटित पदस्थापित जिला से अन्य जिला में पदस्थापन की स्थिति में स्थानान्तरित सेवक पदस्थापित/आवंटित जिले में अपने नियुक्ति वर्ष में कनीयतम हो जायेंगे।

(iii) एक ही जिला से, एक ही नियुक्ति वर्ष के एक से अधिक सरकारी सेवकों का दूसरे किसी एक जिला में स्थानान्तरण होने पर उनकी पारस्परिक वरीयता पूर्व आवंटित जिला के वरीयता क्रम में निर्धारित होगी।

(iv) भिन्न–भिन्न जिलों से एक ही नियुक्ति वर्ष के सरकारी सेवकों के किसी दूसरे जिला (समाहरणालय) में स्थानान्तरण होने पर उनकी वरीयता उनकी जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित होगी और जन्म तिथि एक रहने पर उनके नाम के प्रथम अक्षर (हिन्दी) के आरोही क्रम में निर्धारित होगी।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(मो0 सोहैल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/मार्ग0–11–(पटना)–26/2022सा0प्र0 11772/ पटना–15, दिनांक– 20.6./2023

प्रतिलिपिः–सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मो0 सोहैल)
सरकार के सचिव।

E/Drive.S.Sir-Sanlekh.Sec-10

Poonam